

फर्द अहकाम

(नियम 28)

अज अदालत जगराज मस्तराणी सिकराय

सरकार बनाम सरजन

किरम मुकदमा राम मु० नं० 106/19

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
13/19	<p>प्रकार सरकार किरम के द्वारा हुकम जारी किया। राम के खिलाफ बिना जाकर अदालत की तामील की जाकर पताचाली दि. 8-5-19 के पास हो</p> <p style="text-align: right;">उपस्थित अधिकारी सिकराय जिला-बंस</p>	
22/19	<p>पत्रावली पेश हुई परीकार सरकार उपस्थित। पुरोकार सरकार को बुलाया गया पत्रावली का कवलोकर किया। बैठक का मनन किया। सह खातेदारी द्वारा उपस्थित होकर सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया। बुलाविके सहमति पत्र भुलावा (हुकमस्तीकरण) का विवेकन किया गया। सहमति पत्र पर पत्रकार व पटवारी भू कानिसेख निरिक्षक व वदलीलदा (सिकराय की रिपोर्ट) भी पत्रावली पर उपलब्ध है जिस पर भी हुकमस्तीकरण का विवेकन किया है। रिपोर्ट में बुलाविके सहमति पत्र हुकमस्ती निरीक्षण के रूप में एवं सहमति पत्र दि. 20-3-19 की निर्णय व डिप्री का भाग रहेगे।</p> <p>अतः दावावादी स्वीकार किया जाता है। तथा ठिकाण्ड खसरा नं. 19 रकबा 0.2900 वाकैय शमा अजर लीमला वदलील (सिकराय के राजखरिकाडे में सहमति दि. 20-3-19 के मुताबिक हुकमस्ती करने के भांडेश वदलीलदा (सिकराय को डिप्री करते हैं) निर्णय के द्वारा लिखाया जाना हुकम न्यायालय में प्रमाण मंथन।</p> <p style="text-align: right;">31/3/19 उपस्थित अधिकारी सिकराय जिला-बंस</p>	